



भारत सरकार

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली

स्थापना अनुभाग- दो

दूरभाष सं./Tele: 23404263/23365525

संख्या-7-80/2016/विविध/रा.म.लो.अ./स्था.अनु.दो/ 4424-25 दिनांक 14/10/2016

कार्यलय जापन

समस्त अस्पताल कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि ऐसे कर्मचारी जिन्होंने बिना अस्पताल की अनुमति के विभिन्न सोसायटी, फाईनेंसर और अन्य संस्थाओं से कर्ज लिया हुआ है और वह समय पर कर्ज जमा नहीं कर रहे हैं जिसके कारण न्यायालयों से अस्पताल प्रशासन को समन प्राप्त हो रहे हैं।

ऐसे कर्मचारियों को हिदायत दी जाती है कि वे अपना लिया हुआ कर्ज जल्द से जल्द उन सोसायटी, संस्थाओं को जमा करवा दें जहाँ से उन लोगों ने कर्ज लिया है। अन्यथा उनके विरुद्ध सरकारी नियमानुसार कठोर (अनुशासनात्मक) कार्यवाही की जायेगी।


(शंभु कुमार)

उप. निदेशक (प्रशा.)

प्रतिलिपि:

1. स्वच्छता अधीक्षक को निर्देश दिया जाता है कि वह इस कार्यलय जापन की जानकारी समस्त कर्मचारियों को दें।
2. समस्त केयर टेकर
3. डा.रा.म.लो.अस्पताल कर्मचारी यूनियन
4. मास्टर फाइल
5. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र, अनुबोध के साथ अस्पताल की वेबसाइट पर जापन के लिए